



2014-15 के संबंध में
केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS
for
EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

RELATING TO

2014-15

संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(ख) के अनुसरण में लोकसभा में प्रस्तुत
Presented to the Lok Sabha in pursuance of clause (1) (b) of Article 115 of the Constitution

[राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगों को प्रस्तुत करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115
के खण्ड (1)(ख) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के
अधीन आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है]

**[The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read
with clauses (1)(b) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the
Demands has been obtained]**

जुलाई/July, 2017

प्रस्तावना टिप्पणी

इस खण्ड में शामिल अतिरिक्त अनुदान की मांगें 2014-15 के दौरान कतिपय मांगों के अंतर्गत किए गए वास्तविक व्यय दर्शाती हैं, जो उस वर्ष के लिए संसद द्वारा दी गई राशि के अतिरिक्त हैं।

2. 2014-2015 में 6 अनुदानों और 5 विनियोगों में राजस्व/पूंजी भाग के अंतर्गत कुल ₹ 162079519246 रु. का अतिरिक्त व्यय हुआ।

3. संबंधित मांगों/विनियोग में अतिरिक्त व्यय होने के कारण इस पुस्तिका में अतिरिक्त मांग के विवरण में दिए गए हैं।

4. उपर्युक्त अधिक व्यय की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की गई है, जिन्होंने अड्सठवीं रिपोर्ट (सोलहवीं लोक सभा) के भाग-II के पैरा 15 द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 115(1) (ख) के अधीन नियमित करने की सिफारिश की है।

INTRODUCTORY NOTES

The Demands for Excess Grants contained in this Volume represent the actual expenditure incurred during 2014-15 under certain Demands which are in excess of the amounts granted by the Parliament for that year.

2. The excess expenditure during 2014-15 occurred in 6 Grants and 5 Appropriation amounting to a total of ₹ 162079519246 under Revenue/Capital Section.

3. The reasons for excess expenditure in respective Demands/Appropriation have been explained in the Excess Demand Statements contained in this booklet.

4. The above excess have been scrutinised by the Public Accounts Committee, who, vide para 15 of Part-II of Sixty eighth Report (Sixteenth Lok Sabha), have recommended their regularisation under Article 115(1) (b) of the Constitution of India.

वर्ष 2014-2015 के दौरान संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों/विनियोगों से हुए अतिरिक्त व्यय को दर्शाने वाला विवरण
Statement showing the expenditure incurred in excess of the Grants Voted/Appropriations
made by Parliament during 2014-2015

संख्या और अनुदान शीर्षक	No. & Title of Grant	अंतिम अनुदान/विनियोग Final Grant/Appropriation ₹	वास्तविक व्यय Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय Excess Expenditure ₹	पृष्ठों का संदर्भ Ref. to pages
I सिविल मंत्रालय राजस्व से पूरा किया गया व्यय	I Civil Ministries EXPENDITURE MET FROM REVENUE				
13 डाक विभाग	स्वीकृत 13 Department of Posts Voted	18486,01,00,000	18556,41,85,092	70,40,85,092	1
20 रक्षा मंत्रालय	भारित 20 Ministry of Defence Charged	1,09,00,000	7,77,87,167	6,68,87,167	2
21 रक्षा पेंशन	स्वीकृत 21 Defence Pensions Voted	50999,30,00,000	60435,20,46,976	9435,90,46,976	3
	भारित Charged	10,00,00,000	14,54,50,236	4,54,50,236	
26 रक्षा सेवाएं - अनुसंधान और विकास	भारित 26 Defence Services - Research and Development Charged	61,00,000	61,13,498	13,498	4
जोड़- राजस्व से पूरा किया गया व्यय	Total - Expenditure met from Revenue	69497,01,00,000	79014,55,82,969	9517,54,82,969	
	भारित Charged	11,70,00,000	22,93,50,901	11,23,50,901	
	स्वीकृत Voted	69485,31,00,000	78991,62,32,068	950631,32,068	
पूंजी से पूरा किया गया व्यय	EXPENDITURE MET FROM CAPITAL				
20 रक्षा मंत्रालय	भारित 20 Ministry of Defence Charged	6,73,00,000	6,73,11,801	11,801	2
77 विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत 77 Ministry of Power Voted	2986,51,00,000	9179,91,87,250	6193,40,87,250	5
जोड़- पूंजी से पूरा किया गया व्यय	Total - Expenditure met from Capital	2993,24,00,000	9186,64,99,051	6193,40,99,051	
कुल जोड़ (सिविल मंत्रालय)	GRAND TOTAL (Civil Ministries)	72490,25,00,000	88201,20,82,020	15710,95,82,020	
	भारित Charged	18,43,00,000	29,66,62,702	11,23,62,702	
	स्वीकृत Voted	72471,82,00,000	88171,54,19,318	15699,72,19,318	
II रेल मंत्रालय राजस्व से पूरा किया गया व्यय	II Ministry of Railways EXPENDITURE MET FROM REVENUE				
2 विविध व्यय (सामान्य)	स्वीकृत 2 Miscellaneous Expenditure (General) Voted	831,45,00,000	901,52,58,724	70,07,58,724	6
3 रेलवे संबंधी सामान्य अधीक्षण सेवाएं	भारित 3 General Superintendence and Services on Railways Charged	1,37,33,000	1,37,56,862	23,862	7
7 संयंत्र और उपकरण की मरम्मत और अनुसंधान	भारित 7 Repairs and Maintenance of Plant and Equipment Charged	3,15,000	49,61,509	46,46,509	8
13 भविष्य निधि, पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ	भारित 13 Provident Fund, Pension and other Retirement Benefits Charged	65,63,000	86,64,513	21,01,513	9
14 निधियोग का विनियोजन राजस्व से पूरा किया गया कुल व्यय	स्वीकृत 14 Appropriation to Funds Voted	44293,46,00,000	44679,93,94,144	386,47,94,144	10
	भारित Charged	2,06,11,000	2,73,82,884	67,71,884	
	स्वीकृत Voted	45124,91,00,000	45581,46,52,868	456,55,52,868	
	Total - Expenditure met from Revenue	45126,97,11,000	45584,20,35,752	457,23,24,752	

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, 2014-2015 DEMANDS FOR EXCESS GRANTS

(iv)

संख्या और अनुदान शीर्षक	No. & Title of Grant	अंतिम अनुदान/विनियोग Final Grant/ Appropriation ₹	वास्तविक व्यय Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय Excess Expenditure ₹	पृष्ठों का संदर्भ Ref. to pages
पूंजी से पूरा किया गया व्यय	EXPENDITURE MET FROM CAPITAL				
16 आस्ति अधिग्रहण, निर्माण और प्रतिस्थापन (रेलवे सुरक्षा निधि)	16 Assets-Acquisition, Construction and Replacement- (Railway Safety Fund) Voted	2199,89,65,000	2239,65,77,474	39,76,12,474	11
कुल जोड़ (रेलवे)	GRAND TOTAL (Railways)	47326,86,76,000	47823,86,13,226	496,99,37,226	
	भारित Charged	2,06,11,000	2,73,82,884	67,71,884	
	स्वीकृत Voted	47324,80,65,000	47821,12,30,342	496,31,65,342	
कुल जोड़	GRAND TOTAL	119817,11,76,000	136025,06,95,246	16207,95,19,246	
	भारित Charged:	20,49,11,000	32,40,45,586	11,91,34,586	
	स्वीकृत Voted:	119796,62,65,000	135992,66,49,660	16196,03,84,660	

मांग संख्या DEMAND NO. 13

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई राशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2015, in respect of the **DEPARTMENT OF POSTS** under **MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY**.

स्वीकृत: सत्तर करोड़ चालीस लाख पिचासी हजार बानवे रूपए।

Voted: Seventy crore forty lakh eighty-five thousand ninety-two rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant ₹	वास्तविक व्यय Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय Excess ₹
राजस्व Revenue			
स्वीकृत Voted:	18486,01,00,000	18556,41,85,092	70,40,85,092

₹18141,35,00,000 मूल अनुदान को मार्च 2015 में ₹3,44,66,00,000 का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाया गया। ₹18486,01,00,000 के अंतिम अनुदान की तलुना में ₹18556,41,85,092 का वास्तविक व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹70,40,85,092 का अधिक व्यय हुआ, इसे नियमित करने का आवश्यकता है। यह अधिक व्यय वेतन (वार्षिक वृद्धि, संशोधित सुनिश्चित करियर उन्नयन, छुट्टी यात्रा खर्चा, छुट्टी नकदी करण आदि), कार्यालय व्यय (पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों, बिजली के बिलों, टेलीफोन बिलों में वृद्धि) मजदूरी (वित्त मंत्रालय के सीएबी द्वारा दरों में वृद्धि किए जाने के कारण, हवाई डाक शुल्कों में बढ़ोत्तरी), पेंशन (महंगाई भत्ते में वृद्धि और अधिक संख्या में सेवानिवृत्ति तथा परिवार पेंशन मामलों के निपटान आदि) के लिए किए गए व्यय के कारण था।

The original grant of ₹18141,35,00,000 was augmented by a supplementary grant of ₹3,44,66,00,000 obtained in March, 2015. Against the final grant of ₹18486,01,00,000 the actual expenditure was ₹18556,41,85,092 resulting in an excess expenditure of ₹70,40,85,092 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to Salary (Annual increment, Modified Assured Career Progression, Leave Travel Concession, Leave encashment etc.), Office Expenses (increase in petrol & diesel price, Electricity Bills, Telephone Bills), Wages (increase in Air Mail charges due to revision of rates by CAB of MOF), Pension (hike in DA and more retirement and settlement of Family Pension case, etc).

मांग संख्या DEMAND NO. 20

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई राशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2015, in respect of the **MINISTRY OF DEFENCE** under **MINISTRY OF DEFENCE**.

भास्ति (राजस्व): छः करोड़ अड़सठ लाख सत्तासी हजार एक सौ सड़सठ रूपए।

Charged (Revenue): Six crore sixty-eight lakh eighty-seven thousand one hundred sixty-seven rupees.

भास्ति (पूंजी): ग्यारह हजार आठ सौ एक रूपए

Charged (Capital): Eleven thousand eight hundred one rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant ₹	वास्तविक व्यय Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय Excess ₹
राजस्व Revenue			
भास्ति Charged	1,09,00,000	7,77,87,167	6,68,87,167 (का)
पूंजी Capital			
भास्ति Charged	6,73,00,000	6,73,11,801	11,801 (खb)

(क) ₹51,00,000 मूल अनुदान को मार्च 2015 में ₹58,00,000 का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाया गया। ₹109,00,000 के अंतिम अनुदान की तलुना में ₹7,77,87,167 का वास्तविक व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹6,68,87,167 का अधिक व्यय हुआ, इसे नियमित करने का आवश्यकता है। यह अधिक व्यय एमएच 2052.00.092.02 (प्रभारित) - रक्षा लेखा विभाग के तहत अदालत के आदेश के कारण वेतन के लिए निधि की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुआ।

(ख) मार्च 2015 में 6,73,00,000 की पूरक और अंतिम अनुदान की तुलना में 6,73,11,801 रूपए का वास्तविक व्यय हुआ इसके परिणामस्वरूप 11,801 रूपए का अधिक व्यय हुआ इसे नियमित करने की आवश्यकता है। यह अधिक व्यय एम एच 4047.00.037.01 (प्रभारित)-तट रक्षक संगठन के तहत निर्देशों के अनुसार, ठेकेदारों को पूरा भुगतान किए जाने के कारण था।

(a) The original grant of ₹ 51,00,000 was augmented by a supplementary grant of ₹ 58,00,000 obtained in March, 2015. Against the final grant of ₹ 1,09,00,000 the actual expenditure was ₹ 7,77,87,167 resulting in an excess expenditure of ₹6,68,87,167 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to requirement of additional funds towards salaries owing to Court's order under MH-2052.00.092.02 (Charged) - Defence Accounts Department.

(b) Against the supplementary and final grant of ₹ 6,73,00,000 obtained in March, 2015, the actual expenditure was ₹6,73,11,801 resulting in an excess expenditure of ₹ 11,801 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to settlement of full payment to contractors as per court directives under MH-4047.00.037.01 (Charged) - Coast Guard Organisation.

मांग संख्या DEMAND NO. 21

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा पेंशन के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई धनराशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2015, in respect of the **DEFENCE PENSIONS** under **MINISTRY OF DEFENCE**.

भारित (राजस्व): चार करोड़ चवन लाख पचास हजार दो सौ छत्तीस रुपए।

Charged (Revenue): Four crore fifty-four lakh fifty thousand two hundred thirty-six rupees.

स्वीकृत(राजस्व): नौ हजार चार सौ पैंतीस करोड़ नब्बे लाख छियालीस हजार नौ सो छियत्तर रुपए।

Voted (Revenue) : Nine thousand four hundred thirty-five crore ninety lakh forty-six thousand nine hundred seventy-six rupees.

भाग Section	अन्तिम / Final/ विनियोग Appropriation ₹	वास्तविक व्यय Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय Excess ₹
राजस्व Revenue			
भारित Charged	10,00,00,000	14,54,50,236	4,54,50,236 (का)
स्वीकृत Voted	50999,30,00,000	60435,20,46,976	9435,90,46,976 (खb)

(क) ₹70,00,000 मूल अनुदान को मार्च 2015 में ₹9,30,00,000 का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाया गया। ₹10,00,00,000 के अंतिम अनुदान की तुलना में ₹14,54,50,236 का वास्तविक व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹4,54,50,236 का अधिक व्यय हुआ, इसे नियमित करने का आवश्यकता है। यह अधिक व्यय न्यायालय के निर्णयों के क्रियान्वयन के कारण हुआ जोकि अनिवार्य रूप से किए जाने वाले व्यय हैं और प्रभारित भाग के अंतर्गत वास्तविक बजट प्रावधानों का पहले से पूर्वानुमान लगाना कठिन है।

(a) The original grant of ₹ 70,00,000 was augmented by a supplementary grant of ₹ 9,30,00,000 obtained in March, 2015. Against the final grant of ₹ 10,00,00,000 the actual expenditure was ₹ 14,54,50,236 resulting in an excess expenditure of ₹4,54,50,236 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to the implementation of Court Judgements which are obligatory expenditure and it is difficult to forecast the exact budget provision under the Charged Portion in advance.

(ख) ₹50999,30,00,000 के मूल और अंतिम विनियोग की तुलना में ₹60435,20,46,976 का वास्तविक व्यय हुआ इसके परिणामस्वरूप ₹9435,90,46,976 का अधिक व्यय हुआ। इसे नियमित करने की आवश्यकता है। यह अधिक व्यय अधिक संख्या में सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों का फिर से वेतन निर्धारित करने, संशोधित, सुनिश्चित करियर उन्नयन स्कीम स्थानीय भुगतान और मृत्यु संबंधी मामलों बढ़ते मामलों और निपटा गए अधिक मामलों तथा बैंकों से प्राप्त लम्बित पेंशन के मामले जिनमें राशि स्पष्ट नहीं थी के कारण था।

(b) Against the original and final appropriation of ₹50999,30,00,000 the actual expenditure was ₹60435,20,46,976 resulting in an excess expenditure of ₹ 9435,90,46,976 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to induction of more number of retirees, towards re-fixation of pay, stepping up cases and increase in number of final settlement, Modified Assured Career Progression Scheme, Local discharge and death cases and due to booking of Pending Pension Scrolls received from banks to clear amount under suspense.

मांग संख्या DEMAND NO. 26

रक्षा सेवाएं - अनुसंधान और विकास

DEFENCE SERVICES - RESEARCH AND DEVELOPMENT

रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा सेवा - शोध एवं विकास के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई धनराशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2015, in respect of the **DEFENCE SERVICES - RESEARCH AND DEVELOPMENT** under **MINISTRY OF DEFENCE**.

भारित (राजस्व): तेरह हजार चार सौ अट्ठानवे रुपए।

Charged (Revenue): *Thirteen thousand four hundred ninety-eight rupees.*

भाग Section	अन्तिम विनियोग/Final Grant ₹	वास्तविक व्यय Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय Excess ₹
राजस्व Revenue भारित Charged:	61,00,000	61,13,498	13,498

₹61,00,000 के मूल और अंतिम अनुदान की तुलना में ₹61,13,498 का वास्तविक व्यय हुआ इसके परिणामस्वरूप ₹13,498 का अधिक व्यय हुआ इसे नियमित करने की आवश्यकता है। यह अधिक व्यय प्रत्याशा से अधिक संख्या में निपटाए गए अदालती मामलों के कारण हुआ।

Against the original and final grant of ₹61,00,000 the actual expenditure was ₹61,13,498 resulting in an excess expenditure of ₹13,498 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to settlement of more number of court cases than anticipated.

मांग संख्या DEMAND NO. 77

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के संबंध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई धनराशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2015, in respect of the **MINISTRY OF POWER under MINISTRY OF POWER.**

स्वीकृत (पूंजी): छः हजार एक सौ तिरानवे करोड़ चालीस लाख सत्तासी हजार दो सौ पचास रुपए।

Voted (Capital): Six thousand one hundred ninety-three crore forty lakh eighty-seven thousand two hundred fifty rupees.

भाग Section	अन्तिम विनियोग/Final Grant ₹	वास्तविक व्यय Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय Excess ₹
पूंजी Capital स्वीकृत Voted:	2986,51,00,000	9179,91,87,250	6193,40,87,250

₹2986,50,00,000 मूल अनुदान को मार्च 2015 में ₹1,00,000 का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाया गया। ₹2986,51,00,000 के अंतिम अनुदान के मुकाबले, वास्तविक व्यय ₹9179,91,87,250 रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹6193,40,87,250 का अधिक व्यय हुआ, इसे नियमित करने की आवश्यकता है यह अधिक व्यय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. द्वारा वर्ष के अंतिम महीनों में बॉन्स डिवेंचर जारी किए जाने के कारण हुआ था।

The original grant of ₹2986,50,00,000 was augmented by a supplementary grant of ₹1,00,000 obtained in March, 2015. Against the final grant of ₹2986,51,00,000 the actual expenditure was ₹9179,91,87,250 resulting in an excess expenditure of ₹6193,40,87,250 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to issue of bonus Debentures by National Thermal Power Corporation Ltd. at the fag end of the year.

मांग संख्या DEMAND NO. 2

विविध व्यय (सामान्य)

MISCELLANEOUS EXPENDITURE (GENERAL)

रेल मंत्रालय के अधीन विविध व्यय (सामान्य) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई धनराशि ।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2015, in respect of the MISCELLANEOUS EXPENDITURE (GENERAL) under MINISTRY OF RAILWAYS.

स्वीकृत (राजस्व) : सत्तर करोड़, सात लाख, अठ्ठावन हजार सात सौ चौबीस रुपये ।

Voted (Revenue): Seventy crore, seven lakh, fifty eight thousand seven hundred twenty four rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान* / Final Grant* ₹	वास्तविक व्यय Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय Excess ₹
राजस्व Revenue			
स्वीकृत Voted:	831,45,00,000	901,52,58,724	70,07,58,724

₹831,45,00,000 के अंतिम अनुदान की तुलना में ₹901,52,58,724 का वास्तविक व्यय हुआ, इसके परिणामस्वरूप ₹70,07,58,724 का अधिक व्यय हुआ, इसे नियमित करने की आवश्यकता है। यह अधिक व्यय अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन तथा सांविधिक लेखापरीक्षा के अंतर्गत कर्मचारी लागत और विविध प्रभारों में प्रत्याशा से अधिक भुगतान के कारण है ।

Against the Final Grant of ₹831,45,00,000 the actual expenditure was ₹901,52,58,724 resulting in an excess expenditure of ₹70,07,58,724 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to more expenditure towards staff cost under Research, Design & Standards Organization and Statutory Audit and also more expenditure towards Miscellaneous Charges, than anticipated.

मांग संख्या DEMAND NO. 3

रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं

GENERAL SUPERINTENDENCE AND SERVICES ON RAILWAYS

रेल मंत्रालय के अधीन रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई धनराशि ।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2015, in respect of the **GENERAL SUPERINTENDENCE AND SERVICES ON RAILWAYS** under **MINISTRY OF RAILWAYS**.

भारत (राजस्व) : तेईस हजार आठ सौ बासठ रुपये ।

Charged (Revenue) : Twenty three thousand eight hundred sixty two rupees.

भाग Section	अन्तिम / Final/ विनियोग* Appropriation* ₹	वास्तविक व्यय Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय Excess ₹
राजस्व Revenue			
भारत Charged:	1,37,33,000	1,37,56,862	23,862

इस मांग के अंतर्गत ₹1,37,33,000 का पूरक विनियोग मार्च 2015 में प्राप्त किया गया था जो इस वर्ष का अंतिम विनियोग है। ₹1,37,33,000 के अंतिम विनियोग की तुलना में ₹1,37,56,862 का वास्तविक व्यय हुआ, इसके परिणामस्वरूप ₹23,862 का अधिक व्यय हुआ, इसे नियमित करने की आवश्यकता है। यह अधिक व्यय अदालती निर्णयों पर के प्रत्याशा से अधिक भुगतान के कारण है ।

Supplementary Appropriation of ₹1,37,33,000 was obtained in March, 2015, which is the Final Appropriation for this year. Against the Final Appropriation of ₹1,37,33,000 the actual expenditure was ₹1,37,56,862 resulting in an excess expenditure of ₹23,862 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to more decretal payments than anticipated.

*Total Sanctioned Appropriation/कुल स्वीकृत विनियोग

मांग संख्या DEMAND NO. 7

संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण
REPAIRS AND MAINTENANCE OF PLANT AND EQUIPMENT

रेल मंत्रालय के अधीन संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई धनराशि ।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2015, in respect of the **REPAIRS AND MAINTENANCE OF PLANT AND EQUIPMENT** under **MINISTRY OF RAILWAYS**.

भारित (राजस्व): छियालीस लाख छियालीस हजार पांच सौ नौ रुपये ।

Charged (Revenue): *Forty six lakh forty six thousand five hundred nine rupees.*

भाग Section	अन्तिम विनियोग*/Final Grant* ₹	वास्तविक व्यय Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय Excess ₹
राजस्व Revenue			
भारित Charged:	3,15,000	49,61,509	46,46,509

इस मांग के अंतर्गत ₹3,15,000 का पूरक विनियोग मार्च 2015 में प्राप्त किया गया था जो इस वर्ष का अंतिम विनियोग है। ₹3,15,000 के अंतिम विनियोग की तुलना में ₹49,61,509 का वास्तविक व्यय हुआ, इसके परिणामस्वरूप ₹46,46,509 का अधिक व्यय हुआ, इसे नियमित करने की आवश्यकता है। यह अधिक व्यय अदालती निर्णयों पर प्रत्याशा से अधिक भुगतान के कारण है ।

Supplementary Appropriation of ₹3,15,000 was obtained in March, 2015, which is the Final Appropriation for this year. Against the Final Appropriation of ₹3,15,000 the actual expenditure was ₹49,61,509 resulting in an excess expenditure of ₹46,46,509 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to more decretal payments than anticipated.

मांग संख्या DEMAND NO. 13

भविष्य निधि, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

PROVIDENT FUND, PENSION AND OTHER RETIREMENT BENEFITS

रेल मंत्रालय के अधीन भविष्य निधि, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई धनराशि ।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2015, in respect of the **PROVIDENT FUND, PENSION AND OTHER RETIREMENT BENEFITS** under **MINISTRY OF RAILWAYS.**

भारित (राजस्व): इक्कीस लाख एक हजार पांच सौ तेरह रुपये ।

Charged (Revenue) : Twenty one lakh one thousand five hundred thirteen rupees.

भाग Section	अन्तिम विनियोग*/Final Grant* ₹	वास्तविक व्यय Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय Excess ₹
राजस्व Revenue			
भारित Charged:	65,63,000	86,64,513	21,01,513

₹55,50,000 के मूल विनियोग को मार्च 2015 में ₹10,13,000 का पूरक विनियोग प्राप्त करके बढ़ाया गया। ₹65,63,000 के अंतिम विनियोग की तुलना में ₹86,64,513 का वास्तविक व्यय हुआ, इसके परिणामस्वरूप ₹21,01,513 का अधिक व्यय हुआ, इसे नियमित करने की आवश्यकता है। यह अधिक व्यय अदालती निर्णयों पर प्रत्याशा से अधिक भुगतान के कारण है ।

The Original Appropriation of ₹55,50,000 was augmented by a supplementary Appropriation of ₹10,13,000 obtained in March, 2015. Against the Final Appropriation of ₹65,63,000 the actual expenditure was ₹86,64,513 resulting in an excess expenditure of ₹21,01,513 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to more decretal payments than anticipated.

मांग संख्या DEMAND NO. 14

निधियों में विनियोग

APPROPRIATION TO FUNDS

रेल मंत्रालय के अधीन निधियों में विनियोग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई धनराशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2015, in respect of the **APPROPRIATION TO FUNDS** under **MINISTRY OF RAILWAYS**.

स्वीकृत (राजस्व) : तीन सौ छियासी करोड़ सैंतालीस लाख चौरानवे हजार एक सौ चौवालीस रुपये ।

Voted (Revenue): Three hundred eighty six crore, forty seven lakh, ninety four thousand one hundred forty four rupees.

भाग Section	अन्तिम विनियोग*/Final Grant* ₹	वास्तविक व्यय Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय Excess ₹
राजस्व Revenue			
स्वीकृत Voted:	44293,46,00,000	44679,93,94,144	386,47,94,144

₹41478,74,00,000 के मूल अनुदान को मार्च 2015 में ₹2814,72,00,000 का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाया गया। ₹44293,46,00,000 के अंतिम अनुदान की तुलना में ₹44679,93,94,144 का वास्तविक व्यय हुआ, इसके परिणाम स्वरूप ₹386,47,94,144 का अधिक व्यय हुआ, इसे नियमित करने की आवश्यकता है। यह अधिक व्यय मुख्यतः वर्ष के अंत तक में आंतरिक संसाधन सृजन में सुधार के चलते विकास निधि तथा पूंजी निधि में विनियोग के लिए उच्चतर आधिक्य की उपलब्धता के कारण है।

The Original Grant of ₹41478,74,00,000 was augmented by a Supplementary Grant of ₹2814,72,00,000 obtained in March, 2015. Against the Final Grant of ₹44293,46,00,000 the actual expenditure was ₹44679,93,94,144 resulting in an excess expenditure of ₹386,47,94,144 which requires regularisation. This excess expenditure is mainly on account of availability of higher surplus by the end of the year for appropriation to Development Fund and Capital Fund due to improvement in the internal resource generation.

मांग संख्या DEMAND NO. 16

आस्तियां - अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव - (रेलवे संरक्षा निधि)

ASSETS - ACQUISITION, CONSTRUCTION AND REPLACEMENT - (RAILWAY SAFETY FUND)

रेल मंत्रालय के अधीन आस्तियां - अधिग्रहण, निर्माण तथा बदलाव - (रेलवे संरक्षा निधि) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई धनराशि ।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2015, in respect of the **ASSETS - ACQUISITION, CONSTRUCTION AND REPLACEMENT - (RAILWAY SAFETY FUND)** under **MINISTRY OF RAILWAYS**.

स्वीकृत (पूंजी) : उनतालीस करोड़ छिहत्तर लाख बारह हजार चार सौ चौहत्तर रुपये ।

Voted (Capital): Thirty nine crore, seventy six lakh, twelve thousands four hundred seventy four rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान*/ Final Grant* ₹	वास्तविक व्यय Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय Excess ₹
पूंजी Capital स्वीकृत Voted:	2199,89,65,000	2239,65,77,474	39,76,12,474

₹2198,00,00,000 के मूल अनुदान को मार्च 2015 में ₹1,89,65,000 का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाया गया। ₹2199,89,65,000 के अंतिम अनुदान की तुलना में ₹2239,65,77,474 का वास्तविक व्यय हुआ, इसके परिणामस्वरूप ₹39,76,12,474 का अधिक व्यय हुआ, इसे नियमित करने की आवश्यकता है। यह अधिक व्यय वर्ष के दौरान क्षेत्रीय रेलों में कुछ कार्यों की प्रत्याशा से अधिक प्रगति के कारण हुआ था ।

The Original Grant of ₹2198,00,00,000 was augmented by a Supplementary Grant of ₹1,89,65,000 obtained in March, 2015. Against the Final Grant of ₹2199,89,65,000 the actual expenditure was ₹2239,65,77,474 resulting in an excess expenditure of ₹39,76,12,474 which requires regularisation. The excess expenditure was incurred due to more progress of some works over various zonal Railways during the year, than anticipated.